भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2421

13 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: ऋण जाल में फंसने और फसल के नुकसान के कारण किसानों द्वारा की गई आत्महत्या

2421. श्री संदोष कुमार पी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऋण जाल में फंसने और फसल के नुकसान के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की राज्य-वार सूची क्या है;

(ख) क्या देश में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे को समझने के लिए कोई कार्यप्रणाली है;

(ग) क्या सरकार ने देश में किसानों की आत्महत्या के कारणों को समझने और उन्हें रोकने के लिए किसी आयोग का गठन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी रिपोर्ट 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2023 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के कारणों का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। आत्महत्या के विविध कारण होते हैं।

कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारें अपने संबंधित प्रावधानों और नियमों के अनुसार अनुग्रह राशि या राहत प्रदान करती हैं।
